

घोषणा पत्र

(मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना)

मैं (आवेदक) _____ पुत्र / पत्नी / श्री /
 श्रीमति _____ निवासी _____ निम्नलिखित घोषणा
 करता / करती हूँ:-

1. स्वर्गीय श्री / श्रीमती _____ बोर्ड के पंजीकृत सदस्य थे जिनकी पंजीकरण संख्या _____ तिथि _____ थी।
2. उनकी मृत्यु दिनांक _____ को हो चुकी है उनके मृत्यु प्रमाण-पत्र की पंजीकरण संख्या _____ तिथि _____ को एवम् जिला _____ द्वारा जारी किया गया है। (प्रति सलंगन है)
3. इनकी मृत्यु _____ निर्माण कार्यस्थल पर दुर्घटना से निर्माण कार्य के दौरान हुई थी तथा योजना से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे एफ0आई0आर0, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट इत्यादि साथ सलंगन हैं।
4. मृतक रिश्ते में मेरे _____ थे तथा मैं मृतक का कानूनी वारिस हूँ एवं बोर्ड के रिकार्ड में नामांकित हूँ।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर प्राप्त की गई वित्तिय सहायता राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगा / रहूँगी।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

तिथि:

मो० नं०: _____